IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 2514 /प्रशा0–एक/268/2014 दिनांक– 30-9-2016

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निम्नानुसार सहायक अभियन्ता(सिविल)/सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

रिक्तियों का विवरण

| क्रमांक | पदनाम/वेतनमान | अनिवार्य शैक्षिक योग्यता | रिक्त पदों का विवरण एवं श्रेणी | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सहायक अभियन्ता(सिविल) वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रू0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 | देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी के पर्याप्त ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित संस्था अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष डिग्री। | 19 | 03 | 03 | 25 |
| 2 | सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रू0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 | देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी के पर्याप्त ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित संस्था अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से विद्युत/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष डिग्री। | 01 | – | 01 | 02 |

2. **आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट–**

सहायक अभियन्ता के उक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2016 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0–2–ई0एम0/2001–का–4–2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को भी अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। उ0प्र0 के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित/चिन्हित पदों की उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होने का प्राविधान है किन्तु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सम्प्रति सहायक अभियन्ता का पद चिन्हित नहीं है।

3. **आरक्षण –**

उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों (नान क्रीमीलेयर) को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य

होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांगजनों (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट–** आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में शासन द्वारा निर्धारित अद्यावधिक प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे परिषद को प्रस्तुत करें। जाति प्रमाण पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अद्यावधिक प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

4. चयन प्रक्रिया–

यह केवल कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से सम्पन्न होगी एवं कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार श्रेष्ठता सूची के आधार पर ही चयन की कार्यवाही की जायेगी। कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट निर्धारित तिथियों में प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा संबंधी जानकारियॉ एवं परीक्षा केन्द्रों का विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगा। परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी, जो परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से अभ्यर्थियों को डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जायेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। विभिन्न पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट की तिथि/पाली अलग–अलग हो सकती है। ऑनलाइन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम की सूचना दिनांक **07.10.2016 से** परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगी।

5. आवेदन शुल्क–

उक्त पदो के लिए आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) + बैंक चार्जेज तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र) + बैंक चार्जेज, ई–चालान/आन लाइन भुगतान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की वापसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. आवेदन पत्र भरे जाने सबंधी निर्देशः–

अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा जो परिषद की बेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगा तथा निर्धारित शुल्क ई–चालान के माध्यम से **एच0डी0एफ0सी0 बैंक** की विभिन्न शाखाओं में जमा की जायेगी अथवा ऑनलाइन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड/**नेट बैंकिंग** के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भिक तिथि **13.10.2016** होगी एवं अन्तिम तिथि **07.11.2016** होगी। ई–चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि **08.11.2016** होगी। विलम्ब से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट साईज फोटो की स्कैन की हुई प्रति अपने पास तैयार रखेंगे, जिसकी आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय होगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति तक चालू अवस्था में रखना आवश्यक है ताकि आवश्यक सूचनायें भेजी जा सकें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद प्राप्त **यूजर आई0डी0** एवं पासवर्ड अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा क्योकि भविष्य में प्रवेश पत्र इसी **यूजर आई0डी0** एवं पासवर्ड से उपलब्ध होगा।

परिषद की बेबसाइट www.upavp.com पर "**RECRUITMENT OF AE-2016**" पर अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर निम्नलिखित भाग स्वतः प्रदर्शित होंगेः–

- IMPORTANT DATES & HELPDESK DETAILS

Vigyapn 2016-17

- DETAILED ADVERTISEMENT
- HOW TO APPLY
- F.A.Q
- SYLLABUS

HOW TO APPLY में अभ्यर्थियों को आन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

7. <u>आवश्यक निर्देशः–</u>

(i) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा (Correspondence course/Distance Learning Course) के माध्यम से सिविल/इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

(iii) उक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर आन लाइन ही आवेदन किया जा सकता है, अन्य प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(iv) सार्वजनिक उद्यमों/सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं में सेवारत कार्मिकों का परिषद में चयन होने की स्थिति में उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(vi) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।

(vii) विज्ञापन में किसी प्रकार की प्रकाशन त्रुटि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, विभाग का मूल विज्ञापन एवं परिषद की बेवसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन ही मान्य होगा।

(viii) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति दी जायेगी।

(ix) परिषद में कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अद्यावधिक प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र, अर्हता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिका, चरित्र प्रमाण–पत्र, अन्य विभाग में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र, मूलरूप में, स्वप्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त माना जायेगा।

(x) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्य जानकारियाँ समय–समय पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से प्राप्त की जा सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्न प्रकार होंगी–

| क्र0स0 | गतिविधि | तिथियां |
|---|---|---|
| 1 | ऑनलाइन आवदेन पत्र भरने की अवधि | **13.10.2016 से 07.11.2016** |
| 2 | ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करना | **16.11.2016 से 30.11.2016** |
| 3 | ऑनलाइन परीक्षा की सम्भावित तिथि | **30.11.2016** |

(xi) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु टॉल फ्री नम्बर 1800–266–3556 एवं ई–मेल आई0डी0– uphdb.lko@gmail.com पर ही सम्पर्क किया जा सकता है, यह सुविधा दिनांक **13.10.2016 से 30.11.2016 तक प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे** तक उपलब्ध रहेगी। प्रश्नगत जानकारी हेतु परिषद के कार्यालय में किसी से सम्पर्क करना निषिद्ध है।

(xii) अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे और न ही इस विषय में अभ्यर्थी का कोई क्लेम मान्य होगा।

(xiii) रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(xiv) चयन परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परिषद से कोई यात्रा भत्ता तथा मार्ग व्यय आदि देय नहीं होंगे।

(xv) ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

(xvi) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(xvii) आन–लाइन आवेदन पत्र की कम्प्यूटर जनरेटेड कापी की प्रति, आयु, आरक्षण एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति परिषद द्वारा अपेक्षा किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

(xviii) किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना के छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन/चयन निरस्त करने का अधिकार आवास आयुक्त को होगा।

(xix) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सबंधित पद की सेवाविनियमावली में दी गई व्यवस्था एवं समय–समय पर जारी शासनादेश प्रभावी होंगे।

(xx) सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अन्तिम तिथि तक दूसरा (सेकेन्ड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके आन–लाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नही होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन सबमिट करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

(xxi) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्र, लखनऊ होगा।

30/9

आवास आयुक्त